पत्रांक – 203 दिनांक – 16.03.2024
सेवा में, शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देवघर

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ११३ ।

संपत्ति - अबभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० - 120 - - /2024 आवेदन सं० अनु/09.03.2024 २० ।

चूंकि श्री (For Sudhir Kr. Singh & Others) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिये गयें तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारो और अबभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में ता० 01-01-1994 से ता० 29.02.2024 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों और अबभारों का पता चला :—

अबभार व मुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	मौजा – श्यामगंज थाना नं० – 413 T.P.P. No – 915 Marked – M 915/2 Holding no – 036000201000 no – Ward no – 36 Jamabandi no – 116/3278 – Thana no – 413 Area of land – 18918.97 – Sq ft.							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।
(ख) १ बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बश कि इनके बारे में उल्लेख हो ।
२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें ।

For Baidyanath V. Construction
Rita Tiwari
Partner

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K. Chaudhary

(पदनाम) :— Lekhik

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय

तारीख दरभंगा

मुहर

16/3/24

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

16/03/2024

टिप्पणी (१)—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जिक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की हैं और चूँकि उसके द्वार ढूढे गये गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।